



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक: रालसा २५३

दिनांक: 12.09.2016

कार्यालय आदेश

माननीय न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार 07 प्रशिक्षक मध्यस्थों के माध्यम से तीन-तीन “Awareness, Coaching and Mentoring Programmes” एवं तीन-तीन “20-hour refresher courses” आयोजित किए जाने हैं। Awareness, Coaching and Mentoring Programmes में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं विधि छात्र भाग लेंगे। इसी प्रकार 20-hour refresher courses में न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ता मध्यस्थ, जिनके द्वारा 10 सफल प्रकरण मध्यस्थता द्वारा निस्तारित किए गए हैं, भाग लेंगे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार प्रशिक्षक मध्यस्थों, प्रतिभागी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं अधिवक्ता मध्यस्थों के मानदेय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है—

1. प्रत्येक प्रशिक्षक मध्यस्थ अधिवक्ता को प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस हेतु 1000/- का मानदेय दिया जावेगा। आधे प्रशिक्षण दिवस हेतु 500/- का मानदेय दिया जावेगा।
2. प्रशिक्षक मध्यस्थ, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों सम्मिलित हैं, को अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने की यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल सेवा/डीलक्स रोड़वेज बस सेवा/स्वयं के निजी वाहन से यात्रा करने पर 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वास्तविक दूरी का भुगतान (पेट्रोल/डीजल की गाड़ी की प्रकृति के अनुसार) किया जावेगा और टोल संबंधी रसीद पेश करने पर उसका भी भुगतान किया जावेगा।
3. प्रतिभागी अधिवक्ता मध्यस्थ/अधिवक्ता को अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने की यात्रा करने के लिए तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल सेवा/डीलक्स रोड़वेज बस सेवा/स्वयं के निजी वाहन से यात्रा करने पर 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वास्तविक दूरी का भुगतान (पेट्रोल/डीजल की गाड़ी की प्रकृति के अनुसार) किया जावेगा और टोल संबंधी रसीद पेश करने पर उसका भी भुगतान किया जावेगा।
4. प्रशिक्षक मध्यस्थ/प्रतिभागी अधिवक्ता/प्रतिभागी मध्यस्थ, यदि रेल या बस सेवा से अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल पर आते हैं तो रेल व बस स्टैण्ड से विश्राम स्थल तक आने-जाने के लिए जयपुर में 60+60=120/-रुपये एवं कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर में 45+45=90/-रुपये तथा अन्य

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100. E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

स्थानों पर ऑटो किराया के रूप में 25+25=50/-रुपये देय होगा। यदि इससे

अधिक कोई व्यय होता है तो उसका वहन स्वयं के द्वारा किया जावेगा।

5. प्रतिभागी न्यायिक अधिकारियों को अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने के यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्तों का पुनर्भुगतान उनके पदस्थापित स्थान के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्धारित राजकीय यात्रा भत्तों के अनुसार देय होगा।
6. प्रशिक्षक न्यायिक अधिकारी को दैनिक भत्ता राजकीय नियमानुसार देय होगा।
7. प्रतिभागियों एवं स्थानीय अधिकारियों को कोई भी दैनिक भत्ता नहीं दिया जावेगा।
8. (क) प्रशिक्षक मध्यस्थ, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों सम्मिलित हैं, अन्य मुख्यालय के प्रतिभागी न्यायिक अधिकारीगण एवं प्रतिभागी मध्यस्थतों के ठहरने एवं रात्रि भोजन की व्यवस्था (ख) सभी प्रशिक्षक मध्यस्थ, प्रतिभागियों एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों के चाय-नाश्ता, लन्च एवं हाई टी संबंधी व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की जावेगी।
9. उक्त सभी व्यय मित्तव्ययता बरतते हुए धारा 4(सी) में आवंटित बजट से किए जावेंगे।

S.d.
एस.के. जैन
सदस्य सचिव
दिनांक: 12.09.2016
14

क्रमांक: रालसा / 8920 - 8933

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार-कम-प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी, प्रशासनिक न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति श्री जी. के. व्यास, जज इन्चार्ज, मिडियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक, जज इन्चार्ज, मिडियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
5. अध्यक्ष, समस्त सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान।
6. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

S.d.
अनुतोष गुप्ता
उप सचिव
एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर